



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

18 AASHADH 1947 (S)

No. 341

RANCHI WEDNESDAY 9th JULY, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
9th July, 2025

Notification No.- 05/2025 – State Tax(Rate)

S.O. No. 37, Dated 9th July, 2025:- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 11/2017-State Tax (Rate), of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in paragraph 4 relating to *Explanation*, with effect from the 1st day of April, 2025,-
 - (a) clause (xxxv) shall be omitted;
 - (b) for clause (xxxvi), the following clause shall be substituted, namely:-
“ (xxxvi) “Specified premises”, for a financial year, means,-

(a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, 'hotel accommodation' service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or

(b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or

(c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;”;

(ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:—

“Annexure VII**OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON***(See para 4(xxxvi))*

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a ‘specified premises’.

Reference No.:-

Date: -

1. I/We (name of Person) do hereby declare that the premises at(address)..... shall be a ‘specified premises’ for the Financial Year(yyyy-yy).....
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a ‘specified premises’ by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as a ‘specified premises’ for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure VIII**OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION***(See para 4(xxxvi))*

**Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority
declaring the premises to be a ‘specified premises’.**

Reference No.-

Date: -

1. I/We (name of Person) have applied for registration *vide* ARN No. and do hereby declare that the premises at(address)..... shall be a ‘specified premises’ from the effective date of registration till the end of the Financial Year.
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a ‘specified premises’ by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX

OPT-OUT DECLARATION*(See para 4(xxxvi))*

Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a 'specified premises'.

Reference No.:-

Date: -

1. I/We (name of Person) do hereby declare that the premises at(address)..... shall not be a 'specified premises' for the Financial Year(yyyy-yy).....

2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -

GSTIN/ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises."

[File. No. Va.Kar/GST/01/2025]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note: -The principal notification number 11/2017 -State Tax (Rate) was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification number 07/2024-State Tax (Rate) published in the Gazette of Jharkhand *vide* S.O. No. 3, dated the 22nd March, 2025.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 05/2025- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 37, दिनांक 9 जुलाई, 2025 – झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 4 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -

(क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ (xxxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए “विशिष्ट परिसर” से अभिप्रेत है,-

(क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी ‘होटल आवास’ सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या

(ख) ऐसा परिसर जिसके लिए ‘होटल आवास’ सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या

(ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;”;

(iii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“अनुबंध VII

पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑफ्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) यह घोषणा करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)..... के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध VIII

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑफ्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxxvi) देखें)

क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

ऑफ्ट-आउट घोषणा**(खंड 4 (xxxvi) देखें)**

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)..... के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध VII में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।”

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2025]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,

आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 - राज्य कर (दर) को एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024-राज्य कर (दर), जो झारखंड के राजपत्र में एस. ओ. सं. 3, दिनांक 22 मार्च, 2025, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
